



**HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN AT  
JODHPUR**

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 3536/2026

Dinesh Kumar S/o Shri Kanhaiyalal Vaishnav, Aged About 36 Years, Resident Of Gulab Baba Ki Dhuni, Gulabpura, Police Station Gulabpura, District Bhilwara, Rajasthan. (Lodged In Sub Jail, Gulabpura, Dist. Bhilwara)

-----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan, Through Pp

-----Respondent

Connected With

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 12869/2025

Gajendra S/o Shri Gopal Gurjar, Aged About 23 Years, R/o Gulab Baba Ki Dhuni, Gulabpura, P.s. Gulabpura, Dist- Bhilwara Raj. (At Present Lodged At District Jail Bhilwara)

-----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan, Through Pp

-----Respondent

|                   |   |                                                                       |
|-------------------|---|-----------------------------------------------------------------------|
| For Petitioner(s) | : | Mr. Gaurav Singh<br>Mr. Vikram Singh<br>Mr. Prithvi Raj Singh Rathore |
| For Respondent(s) | : | Mr. Narendra Gehlot, PP<br>Mr. Dinesh Chandra Mali                    |

**HON'BLE MR. JUSTICE YOGENDRA KUMAR PUROHIT**  
**Order**

**21/04/2026**

**01.** प्रार्थीगण—अभियुक्तगण की ओर से जमानत के पृथक—पृथक आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 483 बी.एन.एस.एस., पुलिस थाना गुलाबपुरा, जिला भीलवाड़ा में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 316/2025, अपराध अन्तर्गत धारा 189(2), 115(2), 126(2), 109(1) बी.एन.एस. के मामले में जमानत पर रिहा किए जाने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत हुए हैं।

**02.** बहस जमानत आवेदन सुनी तथा उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया।

**03.** प्रार्थीगण—अभियुक्तगण के योग्य अधिवक्ता की ओर से यह तर्क प्रस्तुत किया है कि इस मामले में शिनाख्तगी कार्यवाही आहत से नहीं करवाई गई और सी.सी. टी.वी. फुटेज का जो विश्लेषण पेश किया गया है, उसमें मारपीट करते हुए नहीं दर्शाया गया है। केवल मौके के फोटोग्राफ्स सहअभियुक्तगण की शिनाख्तगी बाबत पेश किए गए हैं। इस न्यायालय के आदेश से आहत के लिखित बयान दर्ज किये गये थे, जिसमें नाम से नहीं जानना लिखकर दिया है। यह भी लिखकर नहीं दिया कि वह देखकर पहचान सकता हो। पुलिस द्वारा मुल्जिमान की पूछताछ को ही आधार बनाकर प्रकरण में



चालान पेश किया जाना बताया है। इस मामले में प्रार्थीगण—अभियुक्तगण को बापदांदाखिल जेल नहीं करवाया गया है। इस मामले में दोनों पक्षकारान के चोटे आना बताई गई है। प्रार्थीगण—अभियुक्तगण काफी समय से न्यायिक अभिरक्षा में चल रहे हैं। प्रकरण के विचारण में समय लगने की संभावना है। अतः प्रार्थीगण—अभियुक्तगण को जमानत पर रिहा किए जाने का निवेदन किया।

**04.** इसके विपरीत योग्य लोक अभियोजक व विद्वान अधिवक्ता मुस्तगीस ने उक्त जमानत आवेदन पत्र का सख्त विरोध करते हुए यह तर्क प्रस्तुत किया कि सी.सी. टी.वी. फुटेज में दिखाई देने के कारण ही इस मामले में मुल्जिमान बनाए गए हैं। यह भी स्वीकार किया कि कोई शिनाख्तगी कार्यवाही इस मामले में नहीं हुई है। गंभीर प्रकृति का मामला होना बताते हुए प्रार्थीगण—अभियुक्तगण के जमानत आवेदन पत्र को खारिज किए जाने का निवेदन किया।

**05.** मैंने उपर्युक्त तर्कों पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। इस मामले में आहत के बयान इस न्यायालय के निर्देश से लिखित में लिए गए, जिसमें यह नहीं बताया कि वह मुल्जिमान को देखकर पहचान सकता हो। इस मामले में दोनों पक्षकारों के चोटें आना बताई गई है। गवाह संजय व अन्य गवाहान के बयानों का अवलोकन किया गया। इस मामले में कोई शिनाख्तगी कार्यवाही नहीं की गई है। दो मुल्जिमान को संदेह के आधार पर गिरफ्तार किया गया था और उन्हीं मुल्जिमान से अन्य सहअभियुक्त की सी.सी.टी.वी. फुटेज के आधार पर पहचान करवाई गई है। प्रकरण में चालान पेश हो चुका है। विचारण में समय लगने की संभावना स्पष्ट है।

**06.** बहस में उठाये गये बिन्दुओं एवं अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री को ध्यान में रखते हुए प्रकरण के गुणावगुण पर कोई टिप्पणी किये बिना, प्रकरण के तथ्यों व परिस्थितियों को देखते हुए प्रार्थीगण—अभियुक्तगण को जमानत का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

**07.** परिणामतः प्रार्थीगण—अभियुक्तगण का जमानत आवेदन पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि प्रार्थीगण—अभियुक्तगण **दिनेश कुमार पुत्र श्री कन्हैयालाल वैष्णव व गजेन्द्र पुत्र श्री गोपाल गुर्जर** उपर्युक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट के मामले में अपनी नियमित उपस्थिति के संबंध में प्रत्येक प्रार्थी—अभियुक्त एक लाख रुपये का मुचलका एवं योग्य अधीनस्थ न्यायालय के संतोषप्रद पचास—पचास हजार रुपये की दो जमानत प्रस्तुत कर तस्दीक करा दे तो उन्हें इस प्रकरण में जमानत पर तुरंत रिहा कर दिया जावे।

**(YOGENDRA KUMAR PUROHIT),J**